

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 47/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर 2019

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) म प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) म प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण म महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 19/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 05.09.2018, का.आ.4284(अ) दिनांक 05.09.2018 द्वारा प्रकाशित, जो कि अधिसूचना सं. 6/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/एक्सटेंशन/राआनि) दिनांक 27.02.2019, का.आ.1036(अ) दिनांक 27.02.2019 के संयोजन मे पठनीय, मे निर्माणाखित संशोधन करते है

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 05.09.2018 का तालिका के क्रम सं. 10 के स्तंभ सं. 5 म मौजूद प्रविष्टि को "अपर महानिदेशक (न्याय निणयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-15/2018-CI]

(सुचेता श्रीजेश)

अपर निदेशक

प्रतिरूप सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. अपर महानिदेशक (न्याय निणयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली। वतमान केस को मैं डिश टोवी इंडिया लिमिटेड के साथ संयोजित (club) कर ल जो कि अधिसूचना सं. 4/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 01.02.2019. के द्वारा पहले ही अधिसूचित
2. अपर महानिदेशक (न्याय निणयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि वह इस केस से संबंधित सभी दस्तावेजों को अपर महानिदेशक (निणयनन न्याय), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली को भेज द।
3. प्रधान/अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, बंगलोर जोनल यूनिट को उनके पत्र सं. DRI/BZU/S-IV/Enq-16 (Int-06)/2017/1552 दिनांक 04.09.2019 के संदर्भ मे एवं इस निवेदन के साथ कि नोटिसरिया को समान न्याय निणयन अधिकारी मे बदलाव के बारे मे सूचित कर।